रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30072025-265099
CG-DL-E-30072025-265099

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 454] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 24, 2025/श्रावण 2, 1947
No. 454] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 24, 2025/SHRAVANA 2, 1947

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2025

सा.का.नि.497(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सूचना और प्रसारण मंत्रालय, विभागीय कैंटीन समूह 'ग' कर्मचारी भर्ती नियम, 2012का उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन मुख्य सचिवालय की विभागीय आहारिका के समूह 'ग' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— **(1)** इन नियमों का संक्षिप्त नाम सूचना और प्रसारण मंत्रालय,विभागीय आहारिका, समूह 'ग' कर्मचारी भर्ती नियम, **2025** है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन सारणी में स्तर वह होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.- वह व्यक्ति .—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, अथवा

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, विवाह का संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति. - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण
(1)	(2)	(3)
(1) सहायक प्रबंधक – सह – भंडारपाल	1* (2025) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है) ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय
वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-4 (25500-81100 रुपये)	लागू नहीं होता।	18 से25वर्ष (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष की आयु तक शिथिलनीय है।) रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है । रोजगार समाचार अथवा समाचार-पत्र में पद के विज्ञापित होनेकी स्थिति में, आवेदनआमंत्रित कियेजाने की आखिरी तारीख ही आयु-सीमा

		अवधारित करने की निर्णायक तारीख होगी।
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(7)	(8)	(9)
(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से वाणिज्य में स्नातक उपाधि, अथवा पुस्तपालन अथवा भंडारण रखरखाव में एक वर्षीय डिप्लोमा सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक (ख) अनुभव - सरकारी विभाग अथवा उपक्रम में भंडार अथवा बही खाता रक्षण में तीन वर्ष टिप्पण 1 : अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में कारण अभिलेखित करते हुए,अपने विवेकाधिकार से, अर्हताओं में शिथिलता प्रदान की जा सकेगी। टिप्पण 2 : अनुसूचित जातियों अथवाअनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के संदर्भ में यदि चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान होता है कि उन समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु अपेक्षित अनुभव रखते संबंधित अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में कारण अभिलेखित करते हुए, अपने विवेकाधिकार से , अनुभव संबंधी अर्हताओं में शिथिलता प्रदान की जा सकेगी	नहीं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष । प्रोन्नतों के लिए शून्य
भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली		

रिक्तियों की प्रतिशतता।	
(10)	
प्रोन्नति द्वारा; यदि विफल रही, तो **प्रतिनियुक्ति** द्वारा; और यदि दोनों विफल रहे, तो **सीधी** भर्ती द्वारा।	
प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	
(11)	
प्रोन्नति : **i.** ऐसे लिपिक,जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (रु. 19900-63200) में न्यूनतम आठ वर्ष नियमित सेवा की हो । **ii.** ऐसा हलवाई – सह – रसोइया, जिसने हलवाई – सह – रसोइया जिसने वेतन मैट्रिक्स के स्तर **3 (₹ 21,700 – 69,100)** में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो, जिसमें भंडार अथवा लेखा रक्षण का द्विवर्षीय अनुभव निहित है, और जो सीधी भर्ती किये जाने वाले लिपिक के लिए विहित शैक्षिक अर्हता रखता हो अर्थात् वाणिज्य विषय सहित बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण हो। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार के अधिकारी,- **i.** जो नियमित आधार पर मूल संवर्ग या विभाग में सदृश पद धारण कर रहे हैं, अथवा **ii.** (जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 2 (19900-63200 रु.) में नियमित आधार पर आठ वर्ष की सेवा की हो **।** **iii.** जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं। (ख)सरकारी विभाग अथवा उपक्रम में भण्डार अथवा लेखा रक्षण में 3 वर्ष का अनुभव **।** टिप्पण 1.- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2.- पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।	
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक

	सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	**(13)**
विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :- **1.** उप सचिव अथवा निदेशक (प्रशासन), मुख्य सचिवालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय --- अध्यक्ष; **2.** अवर सचिव (प्रशासन), मुख्य सचिवालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय --- सदस्य; **3.** अवर सचिव (वित्त), मुख्य सचिवालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय --- सदस्य; 4. उप निदेशक (प्रशासन), पत्र सूचना कार्यालय, मुख्य सचिवालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय --- सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करनाआवश्यक नहीं है।
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :- **1.** उप सचिव अथवा निदेशक (प्रशासन), मुख्य सचिवालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय --- अध्यक्ष; **2.** अवर सचिव (प्रशासन), मुख्य सचिवालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय --- सदस्य; **3.** अवर सचिव (वित्त), मुख्य सचिवालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय --- सदस्य; 4. उप निदेशक (प्रशासन), पत्र सूचना कार्यालय, मुख्य सचिवालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय --- सदस्य।	

(1)	(2)	(3)
(2) हलवाई – सह – रसोइया	**1* (2025)** ***(**कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय
(4)	**(5)**	**(6)**
वेतन मैट्रिक्स स्तर-3 (**217**00-**69**100 रुपये)	अचयन	18 से 25 वर्ष **(**केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष की आयु तक शिथिलनीय है।**)** रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है। रोजगार समाचार अथवा समाचार-

		पत्र में पद के विज्ञापित होने की स्थिति में, आवेदन आमंत्रित किये जाने की आखिरी तारीख ही आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख होगी।
(7)	**(8)**	**(9)**
आवश्यक : (क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्थान से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण होने के साथ-साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से खानपान विषयक प्रमाणपत्र अथवा डिप्लोमा धारक । (ख) अभ्यर्थी की उपयुक्तता का आकलन करने हेतु भोजन निर्माण संबंधी व्यावसायिक कौशल परीक्षण आयोजित किया जाएगा। वांछनीय : सरकारी विभाग अथवा उपक्रम में खानपान सेवा के क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1 : अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में कारण अभिलेखित करते हुए,अपने विवेकाधिकार से, अर्हताओं में शिथिलता प्रदान की जा सकेगी। टिप्पण 2 : अनुसूचित जातियों अथवाअनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के संदर्भ में यदि चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान होता है कि उन समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु अपेक्षित अनुभव रखते संबंधित अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में कारण अभिलेखित करते हुए, अपने विवेकाधिकार से , अनुभव संबंधी अर्हताओं में शिथिलता प्रदान की जा सकेगी।	नहीं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। प्रोन्नतों के लिए शून्य
(10)		
प्रोन्नति द्वारा; यदि विफल रही, तो प्रतिनियुक्ति द्वारा; और यदि दोनों विफल रहे, तो सीधी भर्ती द्वारा।		

(11)
प्रोन्नति : ऐसे सहायक हलवाई – सह – रसोइया, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (रु. 19900-63200) में न्यूनतम तीन वर्ष नियमित सेवा की हो । टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार के अधिकारी,- (क)(i) जो नियमित आधार पर मूल संवर्ग या विभाग में सदृश पद धारण कर रहे हैं, अथवा (ii) जिसने सहायक हलवाई – सह – रसोइया जिसने वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 1 (18000-56900 रु.) में नियमित आधार पर तीन वर्ष की सेवा की हो, और (ख) जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव हो :- (क) दसवीं कक्षा उत्तीर्ण होने के साथ-साथ खानपान विषयक प्रमाणपत्र अथवा डिप्लोमा धारक । (ख) अनुभव - सरकारी विभाग अथवा सरकारी उपक्रम में दो वर्ष का खानपान विषयक अनुभव अधिमानित । टिप्पण 1.- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2.- पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(12)	(13)
विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. उप सचिव अथवा निदेशक (प्रशासन), मुख्य सचिवालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय --- अध्यक्ष; 2. अवर सचिव (प्रशासन), मुख्य सचिवालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय --- सदस्य; 3. अवर सचिव (वित्त), मुख्य सचिवालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय --- सदस्य; 4. उप निदेशक (प्रशासन), पत्र सूचना कार्यालय, मुख्य सचिवालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय --- सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. उप सचिव अथवा निदेशक (प्रशासन), मुख्य सचिवालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय --- अध्यक्ष; 2. अवर सचिव (प्रशासन), मुख्य सचिवालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय --- सदस्य; 3. अवर सचिव (वित्त), मुख्य सचिवालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय --- सदस्य; 4. उप निदेशक (प्रशासन), पत्र सूचना कार्यालय, मुख्य सचिवालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय --- सदस्य।	

(1)	(2)	(3)
(3) लिपिक	2* (2025) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय
(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-2 (19900-63200 रुपये)	अचयन	18 से 25 वर्ष (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष की आयु तक शिथिलनीय है।) रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है। रोजगार समाचार अथवा समाचार-पत्र में पद के विज्ञापित होने की स्थिति में, आवेदन आमंत्रित किये जाने की आखिरी तारीख ही आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख होगी।
(7)	(8)	(9)
आवश्यक : (क)किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा समकक्ष से वाणिज्य विषय के साथ बारहवीं कक्षा अथवा समकक्ष उत्तीर्ण। (ख)कंप्यूटर पर अंग्रेजी भाषा में प्रति मिनट 35 शब्द अथवा हिंदी	नहीं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। प्रोन्नतों के लिए शून्य।

भाषा में प्रति मिनट 30 शब्द की टंकण गति। (35 शब्द प्रति मिनट एवं 30 शब्द प्रति मिनट की गति, प्रति शब्द औसतन 5 कुंजी दाब के आधार पर, क्रमशः प्रति घंटे 10500 कुंजी दाब अथवा 9000 कुंजी दाब के तुल्य है)। टिप्पण 1 : अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में कारण अभिलेखित करते हुए,अपने विवेकाधिकार से, अर्हताओं में शिथिलता प्रदान की जा सकेगी। टिप्पण 2 : अनुसूचित जातियों अथवाअनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के संदर्भ में यदि चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान होता है कि उन समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु अपेक्षित अनुभव रखते संबंधितअभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में कारण अभिलेखित करते हुए, अपने विवेकाधिकार से , अनुभव संबंधी अर्हताओं में शिथिलता प्रदान की जा सकेगी।		

(10)

प्रोन्नति द्वारा; यदि विफल रही, तो प्रोन्नति द्वारा

(11)

प्रोन्नति :

ऐसे आहारिका परिचर, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (रु. 18000-56900) में न्यूनतम तीन वर्ष नियमित सेवा की हो ।

आहारिका परिचारिकों के लिपिक पद पर प्रोन्नति हेतु संगठनात्मक व्यवहार, संप्रेषण कौशल तथा लेखांकन पद्धतियों पर सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान अथवा भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान से दो सप्ताह का प्रशिक्षण वांछनीय होगा।

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(12)	(13)
विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1.उप सचिव अथवा निदेशक (प्रशासन), मुख्य सचिवालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय --- अध्यक्ष; 2.अवर सचिव (प्रशासन), मुख्य सचिवालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय --- सदस्य; 3. अवर सचिव (वित्त), मुख्य सचिवालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय --- सदस्य; 4 उप निदेशक (प्रशासन), पत्र सूचना कार्यालय, मुख्य सचिवालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय --- सदस्य । विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. उप सचिव अथवा निदेशक (प्रशासन), मुख्य सचिवालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय --- अध्यक्ष; 2. अवर सचिव (प्रशासन), मुख्य सचिवालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय --- सदस्य; 3. अवर सचिव (वित्त), मुख्य सचिवालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय --- सदस्य; 4. उप निदेशक (प्रशासन), पत्र सूचना कार्यालय, मुख्य सचिवालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय --- सदस्य ।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करनाआवश्यक नहीं है ।

(1)	(2)	(3)
(4) सहायक हलवाई – सह – रसोइया	1* (2025) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है) ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय
(4)	**(5)**	**(6)**
वेतन मैट्रिक्स स्तर-2 (19900-63200 रुपये)	अचयन	18 से 25 वर्ष (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष की आयु तक शिथिलनीय है ।) रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए

<table>
<tr><td></td><td></td><td>निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है । रोजगार समाचार अथवा समाचार-पत्र में पद के विज्ञापित होने की स्थिति में, आवेदन आमंत्रित किये जाने की आखिरी तारीख ही आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख होगी।</td></tr>
<tr><td>(7)</td><td>(8)</td><td>(9)</td></tr>
<tr><td>आवश्यक :
(क)किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्थान से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण होने के साथ-साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से खानपान विषयक प्रमाणपत्र अथवा डिप्लोमा धारक ।
(ख) एक वर्ष का सुसंगत अनुभव।
(ग) उपयुक्तता का आकलन करने हेतु पाक कला संबंधी व्यावसायिक कौशल परीक्षण आयोजित किया जाएगा।
टिप्पण : अनुसूचित जातियों अथवाअनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के संदर्भ में यदि चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान होता है कि उन समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु अपेक्षित अनुभव रखते संबंधित अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में कारण अभिलेखित करते हुए, अपने विवेकाधिकार से , अनुभव संबंधी अर्हताओं में शिथिलता प्रदान की जा सकेगी।</td><td>नहीं</td><td>सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।
प्रोन्नतों के लिए शून्य।</td></tr>
<tr><td colspan="3">(10)</td></tr>
<tr><td colspan="3">प्रोन्नति द्वारा; यदि विफल रही, तो प्रतिनियुक्ति द्वारा; और यदि दोनों विफल रहे, तो सीधी भर्ती द्वारा।</td></tr>
<tr><td colspan="3">(11)</td></tr>
<tr><td colspan="3">प्रोन्नति :
ऐसे आहारिका परिचर, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (रु.18000-56900) में न्यूनतम तीन वर्ष नियमित सेवा की हो ।
विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा स्वच्छता अनुरक्षण सहित भोजन निर्माणआदि से संबंधित विषयों के संदर्भ में व्यावसायिक कौशल परीक्षण आयोजित किया जाएगा।</td></tr>
</table>

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति :

केंद्रीय सरकार के अधिकारी,-

(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं, अथवा

(ii) जिसने वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 1 (18000-56900 रु.) में नियमित आधार पर तीन वर्ष की सेवा की हो, और उन्हें हलवाई – सह – रसोइया के सहायक के रूप में एक वर्ष का अनुभव प्राप्त हो।

(iii) जो खानपान विषयक प्रमाणपत्र अथवा डिप्लोमा धारक ।

टिप्पण 1.- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2.- पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(12)	(13)
विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. उप सचिव अथवा निदेशक (प्रशासन), मुख्य सचिवालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय --- अध्यक्ष; 2. अवर सचिव (प्रशासन), मुख्य सचिवालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय --- सदस्य; 3. अवर सचिव (वित्त), मुख्य सचिवालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय --- सदस्य; 4. उप निदेशक (प्रशासन), पत्र सूचना कार्यालय, मुख्य सचिवालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय --- सदस्य। विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. उप सचिव अथवा निदेशक (प्रशासन), मुख्य सचिवालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय --- अध्यक्ष; 2. अवर सचिव (प्रशासन), मुख्य सचिवालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय --- सदस्य;	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करनाआवश्यक नहीं है।

3. अवर सचिव (वित्त), मुख्य सचिवालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय --- सदस्य; **4.** उप निदेशक (प्रशासन), पत्र सूचना कार्यालय, मुख्य सचिवालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय --- सदस्य ।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. आहारिका परिचर	**07*(2025)** ***(**कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 1 **(18000-56900/-रू.)**	लागू नहीं होता।

(6)	(7)	(8)
18 से **27** वर्ष के बीच। **(**केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक आयु सीमा शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य।	लागू नहीं होता।
(9)	**(10)**	**(11)**
दो वर्ष	सीधी भर्ती	लागू नहीं होता

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टिकरण पर विचारकरने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- **(1)** निदेशक (प्रशासन), सूचना औरप्र सारण मंत्रालय -अध्यक्ष; **(2)** अवरसचिव (प्रशासन), सूचना औरप्र सारण मंत्रालय -सदस्य; **(3)** उपनिदेशक ((प्रशासन), पत्र सूचना कार्यालय -सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा.सं. 12-18/2/**2023**- प्रशा.**IV]**

मीनू बत्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 2025

G.S.R. 497(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Information and Broadcasting, Departmental Canteen, Group 'C' Employees Recruitment Rules, 2012, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'C' posts of Departmental Canteen in the Main Secretariat under the Ministry of Information and Broadcasting, namely:-

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Ministry of Information and Broadcasting, Departmental Canteen, Group 'C' Employees Recruitment Rules, 2025.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. — The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. — No person, -

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said post:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writings and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen, Other Backward classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age — limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1) Assistant Manager-cum-Store Keeper.	1(2025)* *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-4 (Rs. 25500-81100).	Not applicable.	18-25 years (Relaxable for Government Servants upto the age of forty years in accordance with the orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the

					Employment Exchange is asked to submit names. In case post is advertised in Employment News or Newspaper the crucial date for determining the age limit shall be last date upto which applications have been called for.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(7)	(8)	(9)
(a.) Bachelors degree in Commerce from a recognised university. or, Graduate in any discipline from a recognised university with one year Diploma in Book Keeping or Store Keeping. (b.) Experience – Three years in a Government Department or Undertaking in handling Stores or Accounts. Note 1: Qualification is relaxable at the discretion of the Competent Authority for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing in case of candidates belonging to the Schedules Castes or the Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience is not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	No.	Two years for direct recruits. Nil for promotees.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.

vacancies to be filled by various methods.	
(10)	(11)
Promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	Promotion : (i) Clerks with atleast eight years regular service in the level 2 (Rs 19900 - 63200) in the pay matrix. (ii) Halwai-cum-Cook with five years regular service in the level 3 (Rs. 21700 – 69100) in the pay matrix with two years experience in handling Stores or Accounts and possessing educational qualification as prescribed for direct recruited Clerk i.e. 12th Class pass with Commerce. Note : Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. Deputation: Officers of the Central Government— (a)(i) holding analogous posts on regular basis, or (ii) with at least eight years regular service in the level 2 (Rs 19900 - 63200) in the pay matrix. (iii) possessing educational qualification as prescribed for direct recruit under column 7; and b) three years experience in a Government Department or Undertaking in handling Stores or Accounts. Note:1 The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for deputation is fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. Note 2: The departmental officials in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of — Deputy Secretary or Director (Administration), Main Secretariat, Ministry of Information and —Chairperson;	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

Broadcasting Under Secretary (Administration), Main Secretariat, Ministry of Information and Broadcasting — Member; Under Secretary (Finance), Main Secretariat, Ministry of Information and Broadcasting —Member; and Deputy Director (Administration), Press Information Bureau, Main Secretariat, Ministry of Information and Broadcasting — Member.	
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of — Deputy Secretary or Director (Administration), Main Secretariat, Ministry of Information and Broadcasting —Chairperson; Under Secretary (Administration), Main Secretariat, Ministry of Information and Broadcasting — Member; Under Secretary (Finance), Main Secretariat, Ministry of Information and Broadcasting —Member; and Deputy Director (Administration), Press Information Bureau, Main Secretariat, Ministry of Information and Broadcasting. — Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(2) Halwai-cum-Cook.	1(2025)* *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-3 (Rs. 21700-69100).	Non-Selection.	18-25 years (Relaxable for Government Servants upto the age of forty years in accordance with the orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit names. In case post is advertised in Employment News or Newspaper the crucial date for determining the age limit shall be last date upto which applications have been called for.

(7)	(8)	(9)
Essential.	No.	Two years for direct recruits. Nil for promotees.

(a.) 10th class pass from a recognised Board or Institute with certificate or diploma in catering from a recognised diploma; (b.) a Trade Skill Test for cooking shall be conducted to assess suitability of the candidate; and Desirable. Experience of two years in a Government Department or Undertaking in catering. Note 1: Qualification is relaxable at the discretion of the Competent Authority for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing in case of candidates belonging to the Schedules Castes or the Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience is not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.		

(10)	(11)
Promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	Promotion : Assistant Halwai-cum-Cook with at least three years regular service in level 2 (Rs. 19900-63200) in the pay matrix. Note : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. Deputation : Officers of the Central Government — (a) (i) holding analogous posts on regular basis, or

	(ii) Assistant Halwai-cum-Cook with at least three years regular service in level 1 (Rs. 18000 – 56900) in the pay matrix, and (b) possessing the qualifications and experience: (a) 10th Class pass with a certificate or diploma in catering (b) Experience - two years in a Government Department or Undertaking preferred. Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for deputation is fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. Note 2: The departmental officials in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(12)	(13)
Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of — Deputy Secretary or Director (Administration), Main Secretariat, Ministry of Information and Broadcasting —Chairperson; Under Secretary (Administration), Main Secretariat, Ministry of Information and Broadcasting — Member; Under Secretary (Finance), Main Secretariat, Ministry of Information and Broadcasting —Member; and Deputy Director (Administration), Press Information Bureau, Main Secretariat, Ministry of Information and Broadcasting — Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of — Deputy Secretary or Director (Administration), Main Secretariat, Ministry of Information and Broadcasting —Chairperson; Under Secretary (Administration), Main Secretariat, Ministry of Information and Broadcasting — Member; Under Secretary (Finance), Main Secretariat, Ministry of Information and Broadcasting —Member; and Deputy Director (Administration), Press Information Bureau, Main Secretariat, Ministry — Member.	

of Information and Broadcasting	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(3) Clerk.	2(2025)* *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-2 (Rs. 19900-63200).	Non-Selection.	18-25 years (Relaxable for Government Servants upto the age of forty years in accordance with the orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit names. In case post is advertised in Employment News or Newspaper the crucial date for determining the age limit shall be last date upto which applications have been called for.

(7)	(8)	(9)
Essential. (a.) 12th class pass or equivalent with commerce from a recognised Board or equivalent. (b.) A typing speed of 35 w.p.m. in English or 30 w.p.m. in Hindi on computer. (35 w.p.m. and 30 w.p.m. correspond to 10500 key depressions per hour or 9000 key depressions per hour on an average of 5 key depressions for each word.) Note 1: Qualification is relaxable at the discretion of the competent Authority for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing in case of candidates belonging to the Schedules Castes or the Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates	No.	Two years for direct recruits. Nil for promotes.

belonging to these communities possessing the requisite experience is not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.		

(10)	(11)
Promotion failing which by direct recruitment.	Promotion: Canteen Attendant with atleast three years regular service in level 1 (Rs. 18000 – 56900) in the pay matrix. A two week training on Organisational Behaviour, Communication Skill and Accounting Practices shall be desirable for the Canteen Attendants for promotion to the post of Clerk from Institute of Secretariat Training and Management or any other institute recognized by the Government of India or State Government. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying eligibility service.

(12)	(13)
Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of — Deputy Secretary or Director (Administration), Main Secretariat, Ministry of Information and Broadcasting —Chairperson; Under Secretary (Administration), Main Secretariat, Ministry of Information and Broadcasting — Member; Under Secretary (Finance), Main Secretariat, Ministry of Information and Broadcasting —Member; and Deputy Director (Administration), Press Information Bureau, Main Secretariat, Ministry of Information and Broadcasting — Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of — Deputy Secretary or Director (Administration), Main Secretariat, Ministry of Information and Broadcasting —Chairperson; Under Secretary (Administration), Main Secretariat, Ministry of Information and Broadcasting — Member;	

Under Secretary (Finance), Main Secretariat, Ministry of Information and Broadcasting —Member; and Deputy Director (Administration), Press Information Bureau, Main Secretariat, Ministry of Information and Broadcasting. — Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(4) Assistant Halwai-cum-Cook.	1(2025)* *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-2 (Rs. 19900-63200).	Non-Selection.	18-25 years (Relaxable for Government Servants upto the age of forty years in accordance with the orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit names. In case post is advertised in Employment News or Newspaper the crucial date for determining the age limit shall be last date upto which applications have been called for.

(7)	(8)	(9)
Essential. (a.) 10th class pass from a recognised Board or Institute with a certificate or diploma in catering. (b.) relevant experience of one year. (c.) A Trade Skill Test for cooking shall be conducted to assess suitability. Note : The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to	No.	Two years for direct recruits. Nil for promotees.

be recorded in writing in case of candidates belonging to the Schedules Castes or the Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.		

(10)	(11)
Promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	Promotion : Canteen Attendant in level 1 (Rs. 18000 – 56900) in the pay matrix with at least three years regular service. A trade test shall be conducted by the Departmental Promotion Committee with reference to the cooking including maintenance of hygiene etc. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation : Officers of the Central Government : (i) holding analogous posts on regular basis, or (ii) Canteen Attendant in Level 1 (Rs. 18000- 56900) in the pay matrix with at least three years regular service having one year experience as helper to Halwai-cum-Cook. (iii) possessing certificate or diploma in catering. Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization /department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for deputation is fifty six years as on the closing date of receipt of applications. Note 2: The departmental officials in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(12)	(13)
Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of — Deputy Secretary or Director (Administration), Main Secretariat, Ministry of Information and Broadcasting —Chairperson; Under Secretary (Administration), Main Secretariat, Ministry of Information and Broadcasting — Member; Under Secretary (Finance), Main Secretariat, Ministry of Information and Broadcasting —Member; and Deputy Director (Administration), Press Information Bureau, Main Secretariat, Ministry of Information and Broadcasting — Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of — Deputy Secretary or Director (Administration), Main Secretariat, Ministry of Information and Broadcasting — Chairperson; Under Secretary (Administration), Main Secretariat, Ministry of Information and Broadcasting — Member; Under Secretary (Finance), Main Secretariat, Ministry of Information and Broadcasting — Member; and Deputy Director (Administration), Press Information Bureau, Main Secretariat, Ministry of Information and Broadcasting — Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. Canteen Attendant.	07*(2025) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group'C' Non-Gazetted, Non- Ministerial.	Level 1 (18000-56900) in the pay matrix.	Not applicable.

(6)	(7)	(8)
Between 18 and27 years. (Relaxation of age limit upto forty years for Government servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note:** The crucial date for determining the age- limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	Matriculation or equivalent from a recognised board.	Not applicable.

(9)	(10)	(11)

Two Years	Direct recruitment	Not applicable.

(12)	(13)
Group 'C 'Departmental Confirmation Committee for considering confirmation consisting of:- (1). Director (Administration), Ministry of Information and Broadcasting — Chairperson; (2). Under Secretary (Administration), Ministry of Information and Broadcasting — Member; and (3). Deputy Director (Administration), Press Information Bureau — Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. 12-18/2/2023-Admn. IV]
MEENU BATRA, Jt. Secry.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.07.30 16:18:01 +05'30'